कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म0प्र0, 3

क्रमांक 957 /स्था. 2/रा. नि. अ./2001, ग्वालियर, दिनांक 22/3/2001

प्रति,

(1) समस्त कलेक्टर,
(2) समस्त बन्दोबस्त अधिकारी,
(3) समस्त उप-आयुक्त भू-अभिलेख,
(4) बाण सागर परियोजना-रीवा/सतना,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना ।

सन्दर्भ:- म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रको0) का ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./1999, दिनांक 27.2.2001

-:-:-

विषयान्तर्गत प्रकरण में म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./1999, दिनांक 27.2.2001, का कृपया अवलोकन करें छाया प्रति संलग्न प्रेषित है ।

2- शासकीय कर्मचारियों को क्रमोन्नति योजना का लाभ गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव में न रोका जावे । इस संबंध में शासन से प्राप्त उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को अविलंब अवगत कराने का कष्ट करें ।

संयुक्त आयुक्त,
वास्ते आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,
मध्यप्रदेश,

पृ0क्र0 /स्था. 2/रा. नि. अ./2001, ग्वालियर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

श्री नरेन्द्र खरे, प्रांताध्यक्ष, म0प्र0राजस्व निरीक्षक संघ ग्वालियर अनुभाग-12, को ओर उनके पत्र दिनांक 1-3-2001 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

संयुक्त आयुक्त,
वास्ते आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,
मध्यप्रदेश,

कलेक्टोरेट, इन्दौर
शाखा- [illegible]
पत्र क्र.
28 MAR 2001
अधीक्षक कलेक्टर

2551
9-4-2001

(प्रजापति)
2032001

स्थापना
समस्त SDO तहसीलदार को नोट
आगे भेजें [illegible]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2001

क्रमांक एफ.1-1/1वेआप्र/1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना.

संदर्भ.—इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 17-3-99/19-4-99, 25-9-99/12-10-99, 1-1-2000, 4-4-2000, 19-4-2000, 26-4-2000, 3-5-2000/17-5-2000/22-6-2000, 30-6-2000 एवं 25-8-2000.

राज्य शासन द्वारा संदर्भित ज्ञापनों द्वारा प्रत्येक नियमित शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ देने के निर्देश जारी किये गये हैं.

2. शासन के ध्यान में यह आया है कि क्रमोन्नति योजना का लाभ कुछ कर्मियों को इस कारण प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके विचाराधीन अवधि के पिछले पांच वर्षों के सभी गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है.

3. शासन ने इस कठिनाई पर विचार करते हुए निर्णय लिया है कि कर्मियों के विचाराधीन अवधि पांच (5) वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में से कुछ वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलबध न होने के आधार पर क्रमोन्नति प्रकरण लंबित न रखे जाएं, बल्कि उसके पूर्व अवधि के उतने वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाए और उपयुक्त पाये जाने पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए.

4. उक्तानुसार तत्काल कार्रवाई पूर्ण कर शासकीय कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देने की कार्रवाई 31 मई, 2001 तक निश्चित रूप से कर ली जाये.

हस्ता./-
(ह. व्ही. ग्वालियरकर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

भोपाल, दिनांक 27-2-2001

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 1-1/1/वेआप्र/99

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.